कार्यालय महाप्रबंधक
दूरसंचार, परियोजना
बाराबंकी
क्रम सं0 256
दिनांक 10-6-18
भारत संचार निगम लिमिटेड

शुद्धि-पत्र

२१ फरवरी, १९६० ई०

सं० ५१२-एस-टी/३६-ए—१२१६ (एस-टी)-५९—उत्तर प्रदेश गजट (भाग १), दिनांक ९ जनवरी, १९६० ई० के पृष्ठ ३२ पर प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या ६७१७ (एस-एम)/३६-ए—१२१६ (एस-एम)-५९, दिनांक २ जनवरी, १९६० ई० में शब्द "सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर" के स्थान पर शब्द "सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर" पढ़िये।

आज्ञा से,
एडीक चन्द्र सक्सेना,
सचिव।

वन विभाग

विविध

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० ११९५/१४—२३१-५०—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य के अधिकारों को खतरा हो सकता है;

अतएव उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्ध द्वारा और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख किये जाने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ के उपबन्ध संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम सड़क	दूरी मील, फर्लांग और फीटों में	विवरण
मेरठ सी०	१—मेरठ—बागपत रोड	३ मील से १९ मील २ फ०	भूमि की सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गई है।
	२—बागपत—सहारनपुर	१ मील से २४ मील २ फ०	"
	३—बागपत—सोनी—शाहदरा	शून्य से १७ मील २ फ० २६० फीट तक	"
	४—मेरठ—बुआना	२ मील से १७ मील	"
	५—मेरठ—बुलन्दशहर	२ मील से २९ मील तक	"
	६—डी० आर० एम० रोड	४१ मील से ५५ मील	"
	७—जी० टी० रोड	८७० मील से ८७३ मील	"
	८—गाजियाबाद—चलसटीकरी	१ मील से ६ मील	"
	९—मुरादनगर रेलवे	शून्य से २ फ० १०६ फीट तक	"
	१०—मोदीनगर—रेलवे फीडर	शून्य से ६४० फीट तक	"
	११—मोदीनगर—रेलवे फीडर	शून्य से ४ फ० १० फीट तक	"
	१२—मेरठ—सदरना रोड	२.४२६ से १२.२.३२०	"
	१३—दूरेला—सदरेना रोड	०.०.० से ६.४.२६०	"
	१४—बुलन्दशहर—सिनानद रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१५—बरोट—चपरौली	२ से ९ मील	"
	१६—मेरठ—बरेली रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१७—नेशनल हाईवे नं० २४	२८ मील ६ फ० से ८ फ० तक ३ मील १ फ० से ३ फ० तक	"
	१८—जी० टी० रोड—गाजीपुर उत्तर प्रदेश बार्डर	८७४ मील ५४८ फ० से ८७९ मील २ फ० ७० फीट तक	"
	१९—गाजीपुर—हापुर रोड	१ मील से २१ मील ६ फ० २४९ फीट तक	"
	२०—हापुरगढ़ रोड	१ मील ४८४ फीट से १९ मील ४ फ० ७० फीट तक	"
मुजफ्फरनगर	१—डी० आर० एम० रोड	५६ मील से ९१ मील	"
	२—खतौली—जानसठ—मिरापुर—बिजनौर	२४ मील ६ फ० से २ मील ११ फीट तक	"
	३—मुजफ्फरनगर—शामली—कैराना	२ मील से ३१ मील	"
	४—मुजफ्फरनगर—सहारनपुर	७७ मील से १० मील	"
	५—मुजफ्फरनगर—बिजनौर	७३ मील से ९१ मील तक	"
	६—मीरापुर—स्कौरागढ़	शून्य से ३ मील तक	"
	७—मुजफ्फरनगर—बुढ़ाना	७ मील तक	"
	८—मुजफ्फरनगर—बागपत—सहारनपुर रोड	२४ मील से ५३ मील ३ फ० तक	"

उप प्रभागीय वनाधिकारी
राम सनेहीघाट
बाराबंकी वन प्रभाग

प्रभागीय निदेशक
सा०वा० वन प्रभाग
बाराबंकी

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रामसनेहीघाट

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज हैदरगढ़

Scanned with CamScanner

जिला	नाम सड़क	पूरी मी०, फ० और फीटों में	विवरण
(कानपुर)	४—रामदास पुरवा रेलवे फीडर रोड और मालगोदाम रोड	०—०—० से १—०—५४९	भूमि की सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गई है।
	५—घाटमपुर रेलवे फीडर रोड	१—०—० से ०—१—६३८	"
	६—घाटमपुर—माल रोड	०—०—० से १—२—४१३	"
	७—इलाइड रोड मो० इन	बंगाल बैंक रेलवे क्रासिंग से महर के क्रासिंग तक	"
	८—बंगाल रोड	जी० टी० रोड के ६२० मील, ५ फ० से गंगा नदी तक	"
	९—ओल्ड इलाहाबाद रोड	१—०—० से ३—६—४५० तक	"
	१०—कल्यानपुर—बिठूर रोड	६१६ मील २ फ० जी० टी० रोड से लोकल रोड के ८ मील पर	"
	११—बारा—अकबरपुर रोड	मील १ से मील ४ तक	"
	१२—रूरा—डेरापुर रोड	मील १ से मील ९ तक	"
	१३—रूरा—अकबरपुर रोड	मील १ से मील ८ तक	"
	१४—अकबरपुर—मोहन रोड	मील १ से मील ४ तक	"
३०—फैजाबाद	१—फैजाबाद—आजमगढ़ रोड	शून्य से मील ५९ तक	"
	२—जौनपुर—अकबरपुर रोड	मील ३१ से मील ५० फ० ४ तक	"
	३—टान्डा—अकबरपुर रोड	शून्य से मील १०, फ० ४ तक	"
	४—गोसाईगंज—रेलवे आश्रम रोड	" ४ तक	"
	५—फैजाबाद—रायबरेली रोड	मील १, फ० ५ फी० ३० से मी० २७ तक	"
३१—सुलतानपुर	१—लखनऊ—बलिया रोड	मील ९१ से मील १३६ तक	"
	२—सुलतानपुर—जौनपुर रोड	" "	"
३२—बाराबंकी	१—हैदरगढ़—रामसनेहीघाट रोड	फ० २, फीट २२१ से मील १८ फ० ० फीट ९११ तक	"
	२—बाराबंकी—देवा रोड	शून्य से मील ८ तक	"
	३—देवा—फतेहपुर रोड	शून्य से १० मील ४ फ० ३३४ फी० तक	"
३३—प्रतापगढ़	१—प्रतापगढ़ पट्टी—गिरासक रोड	मील ३ से मील ३१ तक	"
	२—इलाहाबाद—उन्नाव रोड	मील २५ से मील ४९ तक	"
	३—लालगंज—कालाकांकर रोड	शून्य से मील २५ तक	"
	४—लखनऊ—बनारस रोड	मील १०६ से मील १२५ तक	"
	५—कटरा—गुलाबसिंह रोड	शून्य से मील ४ तक	"
३४—इलाहाबाद	१—इलाहाबाद—बांदा रोड इलाहाबाद जिले में	११ मील ३ फ० से ३१ मील तक	"
	२—भारतगंज—प्रतापपुर रोड एम० डी० आर० मन्दा मील से	शून्य मील के पत्थर से ५७ मील ४ फ० तक	"
	३—ग्रान्ड ट्रंक रोड इलाहाबाद जिले में	५१२ मील ३ फ० ३१० फीट से ४७८ मील तक	"
	४—इलाहाबाद—रीवां रोड	शून्य से २८ मील ३ फ० ७२ फीट तक	"
	५—इलाहाबाद—उन्नाव रोड	९ मील ८ फ० से २४ मील ८ फ० तक	"
	६—एन० एच० २ (ग्रान्ड ट्रंक) जी० टी० रोड	५०१ मील से ५४२ मील तक	"
	७—मूरतगंज—राजापुर रोड	१ मील से २८ मील तक	"
	८—सिराथू—कड़ा रोड	१ मील से ५ फ० तक	"
	९—मनौरी रेलवे फीडर रोड	१ मील सिर्फ	"
	१०—मनौरी—सराय अकिल रोड	१ मील से १३ मील तक	"
	११—एन० एच० बेल कम्पनी, २ जी० टी० पूर्वी और इलाहाबाद बाई पास रोड मील ४६८ से ५०२	मील ३३ फ० ७ फीट ६०	"

प्रभागीय निदेशक
सा० वा० प्रभाग
बाराबंकी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रामसनेहीघाट

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज हैदरगढ़

उप प्रभागीय वनाधिकारी
राम सनेहीघाट
बाराबंकी वन प्रभाग

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमि
लखनऊ

26°47'0"N

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रत्येक के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर के पद पर नियुक्त रहें :—

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम		जिला
१	श्री अम्बा प्रसाद	...	मेरठ।
२	,, त्रिलोक सिंह	...	फैजाबाद।
३	,, फैयाज हुसैन	...	झांसी।
४	,, दीनानाथ शर्मा	...	गोरखपुर।

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ५६२१/१-अ—८०६-५५—लैंड एक्वीजिशन एक्ट, १८९४ (ऐक्ट संख्या १, १८९४) की धारा ३ के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री करुणा सागर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

वन विभाग

छुट्टी

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०/१४—६०(१)-५५—श्री आर० एन० गैरोला, पी० एफ० एस०, डिप्टी कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स को २२ सितम्बर, १९५५ ई० से ३१ दिन की उपार्जित छुट्टी दी जाती है और उन्हें २३ से २६ अक्तूबर, १९५५ ई० रविवार तथा अन्य गजटेड छुट्टियां उस छुट्टी के साथ सम्मिलित करने की आज्ञा दी जाती है।

नियुक्ति

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०(२)/१४—६०(१)-५५—कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से श्री श्रीब्रह्मा, पी० एफ० एस०, असिस्टेन्ट कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स को श्री आर० एन० गैरोला, पी० एफ० एस० के स्थान पर, जिनको छुट्टी दी गई है, स्थानापन्न डिप्टी कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स, कालागढ़ फारेस्ट डिवीजन नियुक्त किया जाता है।

विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२०८/१४—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस बीच में राज्य सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के चैप्टर ४ के निदेश इससे संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रख्यापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में	सीमा का वर्णन
			मी० फ० फी०	
१	ग्रैंड ट्रंक रोड, मील ५९२/० से लेकर मील ६६३/० तक	कानपुर	७१ ० ०	जमीन की हदबन्दी पत्थर या सीमेंट के खम्भों या खाइयों द्वारा उस स्थान पर की गई है।
२	कानपुर-कालपी सड़क, मील ५२/० से लेकर मील ९६/० तक	,,	४४ ० ०	,,
३	कानपुर-हमीरपुर सड़क, मील २/० से लेकर मील ३९/० तक	,,	३७ ० ०	,,
४	मोहडमुगल रोड, मील ११९/० से मील १७३/० तक	,,	५४ ० ०	,,
५	लखनऊ-कानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ४६/३-६४० फीट तक	लखनऊ और उन्नाव	४६ ३ ६४०	,,
६	लखनऊ—बरेली सड़क मील /० से लेकर मील १५२/० तक	लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली	१५२ ० ०	,,
७	लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील /० से लेकर १०८/० तक	लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	१०८ ० ०	,,
८	लखनऊ-सुल्तानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ८५/१-२२८ फीट तक	लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और सुल्तानपुर	८५ १ २२८	,,
९	लखनऊ-फैजाबाद सड़क, मील /० से लेकर मील ७६/३-३६६ फी० तक	लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद	७६ ३ ३६६	,,

उप प्रभागीय अधिकारी
ग्राम सनेहीघाट
बाराबंकी वन प्रभाग

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन प्रभाग

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज हैदरगढ़

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रामसनेहीघाट

Scanned with CamScanner